सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 97/2017 **दायर तारीख :–** 13.10.2017

1. देवेन्द्र कुमार } श्रीराम } जाति गुर्जर निवासी सोठाना
2. पोखर मल } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. सारा देवी पत्नी श्रीराम }

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थी

2. कौशल्या देवी पुत्री श्रीराम गुर्जर निवासी सोठाना तहसील विराटनगर

—— तरतीबी अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र बाबत सीमांक पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 18.04.2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सोठाना के खसरा नम्बर 491/0.16, 492/0.09 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी संख्या 1, 2 एवं तरतीबी अप्रार्थीया के पिता एवं प्रार्थी संख्या 3 के पति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण श्रीराम गुर्जर के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान है, जिनकी तरफ से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीया के पिता/पति ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश क्रमांक : मू.अ./[illegible]/2844 दिनांक 14.10.2015 की पालना में दिनांक 19.06.2016 को सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम सोठाना के खसरा नम्बर 491/0.16, 492/0.09 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:46 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 19.06.2016, मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीराम गुर्जर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम सोठाना के खसरा नम्बर 491/0.16, 492/0.09 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी संख्या 1, 2 एवं तरतीबी अप्रार्थीया के पिता एवं प्रार्थी संख्या 3 के पति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण श्रीराम गुर्जर के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान है, जिनकी तरफ से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीया के पिता/पति ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश क्रमांक : भू.अ./2015/2844 दिनांक 14.10.2015 की पालना में दिनांक 19.06.2016 को सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम सोठाना के खसरा नम्बर 491/0.16, 492/0.09 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2019 को [illegible]लय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:46 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर